

DATE: 01.12.2016



BHARAT SEATS LIMITED

CIN: L34300DL1986PLC023540

Regd. Office : D-185 Okhla Industrial Area,

Phase - 1, New Delhi-110020

WEBSITE: www.bharatseats.com

Phones : +91 9643339870-74, Fax : 0124-2341188

E-mail:seats@vsnl.net, investor_relations@bharatseats.net

NOTICE

(for the kind attention of Equity Shareholders of the Company)
Sub: Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education & Protection Fund (IEPF) Suspense Account

This notice is published pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") notified by Ministry of Corporate Affairs.

The Rules, inter alia, provide for transfer of all shares in respect of which the dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Suspense Account set up by the Central Government. Accordingly, the Company has sent individual communication to those shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Suspense Account under the said Rules at their latest available address.

Notice is hereby given to all such shareholders to make an application to the Company/undersigned by 4TH January, 2017 with the request for claiming the unclaimed or unpaid dividend for the year 2009-10 onwards, so that the shares are not transferred to the IEPF Suspense Account.

(Unclaimed dividend upto the year 2008-09 has already been transferred to IEPF Account within the stipulated time period, Unclaimed Dividend for the year: 2008-09 has been transferred to IEPF on 22nd August, 2016)

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF Suspense Account, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled. The shareholders may note further that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of the issue of duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF Suspense Account pursuant to the Rules.

It may please be noted that if no reply is received by the Company, from the concerned shareholder by 4th January, 2017, or such other date as may be extended, the Company shall transfer the shares to IEPF Suspense Account, without any further notice, as per the procedure stipulated in the Rules.

It may be noted that the shares transferred to IEPF, including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back from the IEPF Authority after the procedure prescribed under the Rules.

For any clarification on matter, please contact the undersigned.

The information contained in this notice is also available on the Company's website www.bharatseats.com and at the website of BSE at www.bseindia.com.

For Bharat Seats Limited

Sd/-

Ritu Bakshi

Company Secretary

Plot No.1,

Maruti Udyog Joint Venture Complex,

Gurugram (Haryana)122015

Date: 01.12.2016
Place: Gurugram



Corporation Bank

(A Premier Public Sector Bank)

BO : RN-03, B-Block, Nawada Market, Behind Fortis Hospital, Sector-62, Noida

Public Notice regarding Undelivered Notice

Whereas the undersigned being the Authorized officer of Corporation Bank issued Demand Notices U/S 13(2) of SARFAESI Act, 2002 to the borrowers and Guarantors of the said project, irrigation project, North-Open 1200...



भारत सीट्स लिमिटेड

CIN: L34300DL1986PLC023540

पंजी. कार्यालय: डी-188, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फंज-1, नई दिल्ली- 110020

WEBSITE: www.bharatseats.com

Phones: +919643339870-74, Fax: 0124-2341188

E-mail: seats@vsnl.net, investor-relations@bharatseats.net

सूचना

(कंपनी की इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ)

विषय: निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईपीएफ) सर्वेस खाता में कंपनी की इक्विटी शेयरों का अंतरण

यह सूचना कंपनी क्रियाकलाप मंडलाय द्वारा अधिसूचित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016 ("नियमावली") के साथ संदिन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (e) के प्रावधानों के अनुपालन में प्रकाशित की जा रही है। इस नियमावली में अन्य विषयों के साथ केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईपीएफ) सर्वेस खाता में ऐसे सभी शेयरों के अंतरण का प्रावधान है जिसके संदर्भ में लगभग सात वर्षों से शेयरधारकों को लाभों का भुगतान नहीं किया गया है अथवा उसका दावा नहीं किया गया है। तदनुसार कंपनी ऐसे सभी शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचना उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर भेज दी गई है जिनके शेयरों को उक्त नियमावली के अंतर्गत आईपीएफ सर्वेस खाता में अंतरित किया जाना है।

ऐसे सभी शेयरधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वर्ष 2009-10 से दावा-रहित अथवा अ-प्रदत्त लाभों का दावा करने के अनुरोध के साथ 4 जनवरी, 2017 तक कम्पनी/अधोहस्ताक्षरी के पास आवेदन करें ताकि उनके शेयरों को आईपीएफ सर्वेस खाता में अंतरित करने से रोका जाए। (वर्ष 2008-09 तक दावा-रहित लाभों को निर्धारित समयावधि में आईपीएफ खाता में अंतरित कर दिया गया है।) वर्ष 2008-09 के लिए दावा-रहित लाभों को 22 अगस्त, 2016 को आईपीएफ में अंतरित किया गया है।

भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले संबंधित शेयरधारकों जिनके शेयरों को आईपीएफ सर्वेस खाता में अंतरित किया जाना है, यह ध्यान रखें कि मूल शेयर प्रमाणपत्रों जो उनके नाम में पंजीकृत हैं, की जगह कंपनी डुब्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी की जाएगी और मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हो जाएंगे। शेयर धारक आगे यह भी ध्यान रखें कि उसकी वेबसाइट पर कंपनी द्वारा अपलोड की गई विवरण नियमावली के अनुपालन में आईपीएफ सर्वेस खाता में शेयरों में अंतरण के उद्देश्य से कंपनी द्वारा डुब्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के मामले में पक्षाप्य सूचना मानी जाएगी।

कृपया यह ध्यान रहे कि यदि 4 जनवरी, 2017 तक अथवा विस्तारित की जाने वाली उस तिथि तक संबंधित शेयरधारकों से कंपनी द्वारा कोई जवाब प्राप्त नहीं होती है तो बिना किसी अग्रिम सूचना के नियमावली में प्रक्रिया के अनुसार ऐसे शेयरों को आईपीएफ सर्वेस खाता में अंतरित कर दी जाएगी।

यह ध्यान रहे कि ऐसी शेयरों पर उपचयित सभी लाभों, यदि कोई हो, सहित आईपीएफ में अंतरित शेयरों का नियमावली के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद आईपीएफ प्राधिकरण से वापस करने का दावा किया जा सकता है।

इस विषय में अग्रिम स्पष्टीकरण के लिए कृपया अधोहस्ताक्षरी से संपर्क करें। इस सूचना में दण्डित जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.bharatseats.com तथा बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

भारत सीट्स लिमिटेड के लिए

हस्ता. /-

सितु बक्शी

कंपनी सचिव

प्लॉट नं. 1

भारत उद्योग ज्वाइंट वेचर कॉम्प्लेक्स,

गुरुग्राम (हरियाणा) 122015

तिथि: 1.12.2016

स्थान: गुरुग्राम

11/12/2016